

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/3/2009-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर।

विषय:- तहसील डीडवाना, जिला नागौर की संशोधित अधिसूचना दिनांक 25.09.19 की प्रति भेजने बाबत।

प्रसंग :- राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(4) राज-1/2008 दिनांक 25.09.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील डीडवाना, जिला नागौर की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.06.19 में सहवन ग्रामों की संख्या 162 अंकित हो गई थी, को 167 समझा जावे/पढा जावे। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न भिजवाई जा रही है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हू

(महेन्द्र कुमार पारख)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 1938

दिनांक:- 10/10/19

✓ प्रतिलिपि:- प्रभारी, आईटी शाखा, मुख्य कार्यालय जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

हू

अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0-13(4)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 25/09/2019

—: संशोधित अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील डीडवाना जिला नागौर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस संबंध में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किये जाने की इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.06.2019 में सहवन ग्रामों की संख्या 162 अंकित हो गई थी, को 167 समझा जावे/पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से

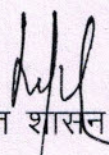
२०

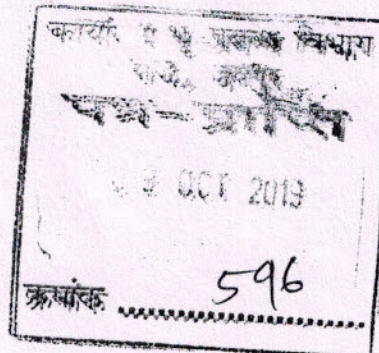
(राजेन्द्र सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009-10/728 दिनांक 26.04.2019 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव



R.R.
09-10-19
29
4/1
RR/223
10/10/19